तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1935/2005/भीलवाडा सोनाथ बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अजीत सिंह राठौड, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति. राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 19.02.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पक्ष में भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम कोदूकोटा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1775/2 रकबा 03बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 1992 में किया गया। इस आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार, भीलवाडा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–11–2001 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1935/2005/भीलवाडा सोनाथ बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05–10–2004 से खारिज कर दी। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपर जिला कलक्टर ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये विवादित आराजी के आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन कमेटी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा खसरा गिरदावरी अथवा अन्य किसी भी राजस्व रिकार्ड की कोई नकले प्रस्तुत नहीं की जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर आवंटन के पश्चात् कोई काश्त नहीं की हो जबकि अपीलार्थी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है तथा हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को बहाल रखा जावे।

योग्य अति राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1935/2005/भीलवाडा सोनाथ बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कथन किया कि अपीलार्थी ने आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि पर कोई काश्त नहीं की। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पक्ष में भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम कोदूकोटा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1775/2 रकबा 03बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 1992 में किया गया। इस आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार, भीलवाडा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत कर आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने से आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–11–2001 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी आवंटी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि आवंटन उपरान्त विवादित आराजी पर उसके द्वारा कभी कोई काश्त की गयी है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी आवंटी द्वारा आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि पर काश्त की। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1935/2005/भीलवाडा सोनाथ बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य